"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2009—ज्येष्ठ 8, शक 1931

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-05/2009/वाक. (पं.)/पांच (32).— राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/2009/वाक. (पं.)/पांच (11) रायपुर, दिनांक 11-02-2009 के पैरा 2 में उल्लेखित अधिसूचना की प्रभावशीलता तिथि 01 अप्रैल, 2009 में संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना को दिनांक 01 जून, 2009 से प्रभावशील करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक एफ 10-05/2009/वाक. (पं.)/पांच (32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/2009/वाक. (पं.)/पांच (32), दिनांक 29-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 29th May 2009

NOTIFICATION

No. F 10-05/2009/CT (R)/V (32).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby, amends the date of enforcement 01 April, 2009, mentioned in Para 2 of this departments notification No. F 10-05/2009/CT (R)/V (11), dated 11-02-2009, the said notification shall come into force from 01 June, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.